B-III & IV
L- 16
Environment
& Ecology

IUCN Red List

IUCN द्वारा प्रकाशित एक वैश्विक रिपोर्ट जिसमें प्रजातियों को उनकी संरक्षण स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और यदि किन्हीं प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट है तब संकट परिस्थितियों का वर्णन भी किया जाता है।

सामान्यतः यह रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है किन्तु इस बीच कई विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रजातियों की संरक्षण स्थितियों को अपडेट किया जाता है।

नवीनतम रिपोर्ट वर्ष २०२३ के जलवायु परिवर्तन के २८ वें महा-सम्मेलन में जारी की गई, इस रिपोर्ट के

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण बिन्दु-

(a) कुल 1 लाख 57 हजार 190 प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया जो कि ज्ञात प्रजातियों की संख्या का लगभग 9% है इनमें से 44,016 प्रजातियाँ संकट की श्रेणियों में शामिल हैं।

(b) लगभग 16 हजार प्रजातियाँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं (लुप्तप्राय/CR)।

(c) जलवायु परिवर्तन प्रजातियों पर आए एक बड़े संकट के रूप में देखा गया है, जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिक तंत्रों में प्रतिकूल परिवर्तन आ रहे हैं, जिनसे कई प्रजातियाँ एक साथ प्रभावित हो रही हैं।

(d) पहली बार IUCN द्वारा मृदु जल की मछलियों का भी मूल्यांकन किया गया है। यह पाया गया कि

Scanned by CamScanner

लगभग 25% मछलियाँ संकटग्रस्त हैं, जिसका प्रमुख कारण अत्यधिक मत्स्यन, जलनिकायों का प्रदूषण और जल निकायों का विखण्डन है।

(e) भारत के संदर्भ में जंतुओं की 950 से अधिक प्रजातियां और पौधों की लगभग 600 प्रजातियां को संकटग्रस्त पाया गया है।

(f) भारत की कुछ महत्वपूर्ण लुप्तप्राय प्रजाति -

i) Great Indian Bustard
ii) Forest Owlet
iii) River Terrapin
iv) Bengal Florican
v) White Billed Heron

(g) उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रजातियों के संकटग्रस्त होने की दर वैश्विक औसत

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

से लगभग 10% अधिक है इसके २ कारण हैं-

i) जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
ii) पारिस्थितिक तंत्रों पर जनसंख्या का दबाव।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (२०२२ के संशोधन सहित) :-

① वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर एक व्यापक प्रावधानों वाला अधिनियम।
② संरक्षण के दायरे में कई वन्य जंतु और कुछ दुर्लभ पौधे भी शामिल हैं।
③ इसके मुख्य प्रावधानों में वन्यजीवों का शिकार से बचाव, उनके व्यापार पर रोक और वन्यजीवों के संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना शामिल है-

Scanned by CamScanner

a) वन्यजंतुओं को मूल अधिनियम के 6 अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया, 2022 के संशोधन के बाद संरक्षित वन्यजंतु 3 सूचियों में सूचीबद्ध हैं-

मूल अधिनियम

अनुसूची 1 से 5

↓

क्रमशः कम होते संरक्षण स्तरों पर वन्य जंतु

अनुसूची 6

↓

अवांछित जंतु (Vermin)

2022 के बाद →

अनुसूची I

↓

सर्वाधिक संरक्षित जंतु

अनुसूची II

↓

अपेक्षाकृत कम संरक्षित जंतु

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

Scanned by CamScanner

अनुसूची III

↓

संरक्षित पौधे

अनुसूची IV

↓

CITES में संरक्षित प्रजातियाँ।

b) मूल अधिनियम की छठी अनुसूची में संरक्षित पौधों को सूचीबद्ध किया गया था।

c) कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सभी संरक्षित जंतुओं के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध।

d) संरक्षित पौधों के व्यापार और उन्मूलन दोनों पर ही प्रतिबंध।

e) वन्यजीवों से जुड़े मामलों पर 4 सांविधिक निकायों की स्थापना-

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

Scanned by CamScanner

i) वन्यजीवों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय बोर्ड। राष्ट्रीय बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा पदेन की जाती है, इसके उपाध्यक्ष केन्द्रीय पर्यावरण एवं वनमंत्री होते हैं। राज्य स्तरीय बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।
इस बोर्ड का स्वरूप एक परामर्शदाता समिति का होता है।

ii) केन्द्रीय जैविक उद्यान प्राधिकरण, भारत में चल रहे सभी जैविक उद्यानों का विनियमन इस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

iii) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित निकाय है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
A Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

iv) राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्य, वन्यजीव अपराधों के मामलों में जाँच करना और दूसरी एजेंसियों के साथ सहयोग करना है।

f) वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 4 विशेष रूप से गठित सांविधिक संरक्षण क्षेत्रों का प्रावधान-

(i) राष्ट्रीय उद्यान
(ii) वन्यजीव अभयारण्य
(iii) सामुदायिक रिजर्व
(iv) संरक्षण रिजर्व

g) संरक्षित वन्यजीवों को बंदी बनाने पर प्रतिबंध (हाथियों के अपवाद के साथ)।

h) संरक्षित वन्यजीवों या उनके अंगों के व्यापार पर रोक के प्रावधान।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

i) बाघ संरक्षण, वन्य जीव अपराध तथा प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner